

न्यायालय उपरकर अदिकाशी जमवारागण
शंकर लाल बनाम घासी के
 मुकदमा संख्या/वर्ष : 72 / 2019

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	18/11/19	पत्रावली पेअ हुई वकील पक्ष उपर। राजकार में एपस्टा एपस्टा होने के कारण नही सुनाया बाप। पत्रावली पत्रावली वाले क्रॉडस दिनांक 26/11/19 को पेअ हो एप विश्वामित्र मीन उपखण्ड अधिक जमवारागण
	26/11/19	पत्रावली पेअ हुई परलाय फरीकेज उपस्थित। तहसीलदार जमवारागण से प्राप्त फुरेंजात रिपोर्ट पर दिनांक 21/11/2019 को शंकरलाल की ओर से एड० श्री महेश शर्मा में आपत्ति पेअ की। जिसका प्रवाद घासीराम व शेष की ओर से एड० श्री रामकरण शर्मा ने पेअ किया। उक्त आपत्ति पर आप पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को नो एप सुनी गई। पत्रावली वाले क्रॉडस दिनांक 28/11/19 को पेअ हो एप
	28/11/19	पत्रावली पेअ हुई। व फुलाप फरीकेज उपस्थित। राजकार में एपस्टा होने के कारण क्रॉडस नही सुनाया बाप। पत्रावली पत्रावली वाले क्रॉडस दिनांक 29/11/19 को पेअ हो एप
	29/11/19	पत्रावली पेअ हुई वकील उपर पक्ष उपस्थित। वकील एप

विश्वामित्र मीन
 उपखण्ड अधिक
 जमवारागण

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी जयवारागढ (जयपुर)

शंकर लाल बनाम धारसी वगैरे

संख्या / वर्ष

72 / 2017

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>धारसी ने कंपनी बहाल में प्रस्तुत आपत्तियों के कारणों को बहस करते हुए कंपनी बहाल में कायम किया कि उक्त प्रकरण में दिनांक 14/11/2018 को सुनवाई करते हुए भागनीप न्यायालय ने वादग्रस्त भूमियों के सम्बन्ध में उभय पक्षों के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार व मोटे पर कवले को हफाठ में रखते हुए अरबस नरसु के आधार पर प्राथमिक श्रेणी के आदेश तहसीलदार जयवारागढ को निर्देश दिए कि वे उक्त पक्षों को सूचित करते हुए इनकी मंजूरी के क्रॉसिंग रिपोर्ट तैयार कर भिजवाएं जिससे विपरीत क्रॉसिंग रिपोर्ट तैयार की गई। जो धारसी के हित व कवले एवं अधिकारों के विपरीत होने से निस्तर्णीय है।</p> <p>जो क्रॉसिंग रिपोर्ट तहसीलदार जयवारागढ ने दिनांक 5/2/19 दिनांक 18/11/2018 के द्वारा भिजवाई है वे एकपक्षीय तैयार कर भिजवाई है जो निस्तर्णीय है पुनः क्रॉसिंग रिपोर्ट भंगवाने हेतु कंपनी बहाल में निर्देश किया।</p> <p>साथ ही कंपनी बहाल में कायम किया कि रकम 128 रकम 11100 हेमेटा अनुसार की भूमि में प्राथमिक धारसी के पुराने बूटों को है।</p>	

(विश्वामित्र मिना)
उपखण्ड अधिकारी
जयवारागढ

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जखारामगढ (जपखण्ड)
शंकरलाल बनाम चासी कर्त

मुकदमा संख्या/वर्ष : 72/2012

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>वले आ रहे मकानान दुकानान क जाइवीवाल सहित पुस्ता कवले की भूमि को प्रतीवासी सं० 2 व 3 के नाम से प्रस्तावित कुर्वेणत रिपोर्ट में संखण० 12811 अनुसार लाल रंग से चिह्नित कर दिया गया है। जो वासी के मोहरीपति के विपरीत है इसके अलावा सं० 1 व 3 के लिए जो प्रतीवासी कर दिया, लेकिन वासी का नाम डंडाज की नहीं है।</p> <p>प्रिवाहित भूमि के संखण० 128 की भूमि के दक्षिण-पश्चिम में लगवा अनुसार जमबी करण रोड बाहर स्थित अनुसार है जो कि सड़क से लगवा 81 मीटर लम्बा रिफार्ड रिफार्ड में मोहरे के अनुसार स्थित है वासी के 113 दिस्त में 20 मीटर है कुर्वेणत में मल 18 मीटर पॉर्ड को प्रस्तावित किया है तथा संखण० 128 की भूमि उत्तरी दिशा की ओर पश्काने का शामिलानी कुंआ है जो कुर्वेणत रिपोर्ट में संखण० 12811 अनुसार में से होकर जपखण्ड बाहर भूमि में आना-जाना है तथा समी के लिये प्रत्येक पश्काने अपन-अपने हिस्से एवं सड़क के फुट की नाप अनुसार भूमि के प्रस्ताव तैयार करा लें तो सभी पश्काने के विवाद का निस्तारण हो पाता है संविधान पुनः कुर्वेणतार्थि हेतु निवेदन किया</p>

विश्वामित्र मीना
 उपखण्ड अधिकारी

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी जमना रामगढ (जपमरु)

वकिरलल बनाम वासी वडो

व्या/वर्ष

72/2012

आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>उतिवारी अधिकारवादी श्री- रामकरण शर्मा ने आपनी दवा में प्रस्तुत जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि आपति के प्राप्ति पर के सभी मदों को अस्वीकार कर कदा कि मॉके पर सुविष्ट स्वादेदारों को मोंपुदगी में कुँजात रिपोर्ट लेंपार की गई है प्रिय पर आपने वादी ने हस्ताक्षर नहीं किया।</p> <p>प्रस्तुत कुँजात रिपोर्ट वादी व उतिवारीगत के मध्य किए गये राजीनामा अनुसार लेंपार की गई है तथा राजीनामा अनुसार अकरलल ने निगमण कर मिथ्या आधारों पर वाद पेश किया है बालत प्रकार से आपति पेश कर तकासमा नहीं कराना चाहते है इसीलिये प्राप्त कुँजात रिपोर्ट पर अतिरिक्त निगमण पारित किया जाय।</p> <p>अथ पक्षों को दवा सुनते व पत्राली का कसलेका करत पर लो कुँजात रिपोर्ट लेंपार की गई के दोनो की मोंपुदगी में लेंपार की गई। लेकिन वादी ने हस्ताक्षर नहीं किया। प्रस्तुत आपति अतिरिक्त रूप से अस्वीकार की जाती है प्राप्त कुँजात पर आम रास्ते</p>	

(विश्वनाथ मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमनारामगढ

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी


बनाम

चासी वेश

मुकदमा संख्या/वर्ष

72/2012

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>की अग्रे में व पुपड के फल में तीनों प्रकार के प्रकार प्रकार हिस्सा रहेगा। पुपड पुपड रिपोर्ट के अनुसार बाद में अन्तिम रिपोर्ट प्रकार से पारित की जाती है</p> <p>1- चासी पुत्र लालु लालु साहण साहण देह को खण्ड 98 खण्ड 0.27 किस्म चासी। खण्ड 128 खण्ड 0.36 वा० A, खण्ड 138 खण्ड 0.08 किस्म चासी। खण्ड 147 खण्ड 0.15 किस्म वा० 3 कायम किया जाता है।</p> <p>2- शंकर लालु पुत्र लालु लालु साहण साहण देह को खण्ड 98/1 खण्ड 0.28 किस्म चासी। खण्ड - 128/2 खण्ड 0.37 किस्म वा० A खण्ड 138/1 खण्ड 0.07 किस्म चासी। खण्ड 147/1 खण्ड 0.15 किस्म वा० 3 कायम किया जाता है।</p> <p>3. सरजू देवी पति उपरसीलाल, शंभुलाल पुत्र उपरसीलाल नानां रेणु माता सरजू देवी पति साहण साहण देह को खण्ड 98/2 खण्ड 0.27 किस्म चासी। खण्ड 128/1 खण्ड 0.04 वा० A खण्ड 138/3 खण्ड 0.32 किस्म वा० A खण्ड 138/2 खण्ड 0.08 किस्म चासी। खण्ड 147/2 खण्ड 0.14 किस्म वा० 3 कायम किया जाता है।</p>


 विरम
 उपखण्ड अधिकारी
 तमवा, नगद

फर्च अहकाम

अलय उपखण्ड कृषिनाम जमवारामगढ़ (जयपुर)
श्रीधर लाल बनाम च्यारी वगैरे
 न संख्या/वर्ष : 72/2012

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
4-	<p>च्यारी पुत्र लाल सिंह 12 संख्ये देवी पट्टा उपखण्ड जमवारामगढ़ पुत्र उपखण्ड जमवारामगढ़ सं. जाम संख्ये 12 प्रति श्राद्ध का हे के संख्ये 12814 रकम 0.02 किता का काप का काप का काप उक्त पारी कतिब डिकी व किता में देवीलाल जमवारामगढ़ को निदेश दिए जाते हैं कि वे जाम रास्ते की भूमि में व 245 के फाट में तीनों पकड़ारों का हिस्सा बराबर - बराबर काप काप किता की पालन की जावे डिकी पारी को पत्रपत्नी फौजल सुमार होकर जमवार से फाट लोका की कापिल इष्ट हो। किता का दिनांक 29/11/2019 के सुके उपखण्ड सुनाय असा। By (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़</p>	<p>9931 6/12/19</p>

